संख्या- 25/2021/1664107/12-5 / 9 / 2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5** **लखनऊ:: दिनांक:: 16 जून, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों की डाटा बैंक योजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस-308/लेखा/वित्तीय स्वीकृति /2021-22, दिनांक 09 जून, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 394.50 लाख के सापेक्ष फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो की डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू0 98.62 लाख (रूपये अट्ठान्नबे लाख बासठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| **लेखाशीर्षक / योजना का नाम** | **वर्ष 2021-22 में प्राविधान** | **वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि** |
|---|---|---|
| 2401-फसल कृषि कर्म<br>111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी | | |
| 05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो का डाटाबैंक योजना | 394.50 | 98.62 |
| **योग** | **394.50** | **98.62** |

| मानक मद | प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति |
|---|---|
| 02- मजदूरी | 25.00 |
| 07- मानदेय | 25.00 |
| 08- कार्यालय व्यय | 1.00 |
| 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 11.50 |
| 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.00 |
| 13- टेलीफोन पर व्यय | 1.00 |
| 29- अनुरक्षण | 2.50 |
| 42- अन्य व्यय | 21.37 |
| 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1.75 |
| 47- कम्प्यू 0 अनु 0/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी | 8.50 |
| **योग** | **98.62** |

( रूपया अट्ठानन्बे लाख बासठ हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। एक मद से दूसरे मद में धनराशि

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार/जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंकडाकघर में नहीं रखी/ जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। सामग्री के क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का दायित्व आपका होगा।

7- धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

9- धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ो की डाटा बैंक योजना के मानक मद 02-मजदूरी, 07-मानदेय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 13-टेलीफोन पर व्यय, 29-अनुरक्षण, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय तथा 47-कम्प्यू० अनु०/तत्संबंधी स्टेशनरी के नामें डाला जायेगा।

11- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-25(1)/2021/1664107(1)/12-5 / 9 / 2021, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन प्रति की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) कृषि भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in